संख्या–399/VI-2/2011–72(6)2010

प्रेषक,

डॉ0रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2** देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2011

**विषयः– स्वर्गीय इन्द्रमणी बड़ोनी जी के जीवन वृतान्त उत्तराखण्ड आन्दोलन पर आधारित फिल्म "उत्तराखण्ड का गॉधी" के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1495/सं0नि0उ0/दो–4/2010–11 दिनांक 26 अक्टूबर 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय परमार्थ पिक्चर्स 1–1 हाथीबडकला स्टेट, देहरादून को "उत्तराखण्ड का गांधी इन्द्रमणी" बयोबद्ध आन्दोलनकारी स्व0 इन्द्रमणी बडोनी जी के जीवन वृतान्त पर आधारित 1 घन्टे 20 मिनट की एक ऐतिहासिक तथ्यपरक फिल्म के निर्माण हेतु "संस्कृति के विभिन्न आयामों का ऑडियों एवं विडियों अभिलेखीकरण" के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00 लाख में से ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख) मात्र की धनराशि निम्नानुसार व्यय किये जाने पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त धनराशि शासनादेश संख्या–09/VI-2/2011–72(6)/2010 दि0 22 मार्च, 2011 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी। धनराशि का आहरण/व्यय उक्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय 16–क–अनुच्छेद 369 के सम्बन्धित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि तभी प्रदान की जाये जब सम्बन्धित

द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन का शपथ पत्र प्रदान किया जाये।

5– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

6– इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतियॉ जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायेंगे।

7– उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मदवार व्यय शासन को उपरोक्त साक्ष्य के साथ आवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

8– संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक –2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का ऑडियों एवं विडियों अभिलेखीकरण–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–1210(पी)/XXVII(3)/2010–11 दिनांक 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

**पृष्ठांकन संख्या–399/VI-2/2010–72(6)2010 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– सम्बन्धित संस्था।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

Budget 10-11